महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कम्प्यूटर सैट (कम्प्यूटर,यूपीएस,प्रिन्टर, स्कैनर) उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन–लाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

Important Dates

S.No.	Events	Date	Time
1.	Date of Issue of Notice Inviting BID (NIB)	10-10-2025	22:00 hrs
2.	Document Sale Start Date	11-10-2025	10:00 hrs
3.	Document Sale End Date	31-10-2025	10:00 hrs
4.	Seek Clarification Start Date	24-10-2025	11:00 hrs
5.	Seek Clarification End Date	25-10-2025	13:00 hrs
6.	Pre Bid Meeting Date	27-10-2025	13:00 hrs
7.	Pre Bid Meeting Place: Registrar Office, Chankaya Bhawan, MDS University, Kayad Road, Ajmer		
8.	Bid Submission End Date	31-10-2025	14:00 hrs
9.	**Last Date & Time of Submission of Hard Copy of D.D. and Annexure 2 and authority letter as mentioned in Tender document at MDSU, Ajmer**	31-10-2025	15:00 hrs
10.	Technical Bid Opening Date	31-10-2025	16:00 hrs
11.	Date & Time of Opening of Financial Bid	will be intimated to all the technically qualified bidders only	
12	Bid Vailidity Period	90 days from the last date of Bid Submission	

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

Check List

मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कंप्यूटर, प्रिन्टर मय स्कैनर एवं यू.पी.एस. किराये पर लिये जाने बाबत बोली

बोलीदाता द्वारा तकनीकी पात्रता एवं शर्तों के अनुसार बोली प्रपत्र के साथ तकनीकी लिफाफा संख्या–01 में निम्न क्रमानुसार दस्तावेज पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावें एवं समस्त कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करावें अन्यथा निविदा प्रस्ताव अमान्य घोषित की जा सकती है।

क्र0 सं0	निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी बिड में पात्रता का विवरण	संलग्न हाँ/ना	संलग्नक का क्रमांक	दस्तावेज का जारी दिनांक	वैद्यता की अवधि
1	पूर्ण हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र				
2	बोलीदाता फर्म का स्टेटस– एकल स्वामित्व/एच.यू.एफ./कम्पनी/साझेदारी/ (प्रमाण संलग्न करें)				
3	फर्म के अधिकृत प्राधिकारी का विवरण (आवश्यक हो तो पॉवर ऑफ अर्टोनी संलग्न करें) 1. नाम 2. मो.नम्बर 3. ई.मेल. आई.डी.				
4	सक्षम सत्ता/श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या एवं उसकी स्व–प्रमाणित प्रति				
5	ई.पी.एफ. पंजीयन प्रमाण पत्र				
6	ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र				
7	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का विवरण व स्व–प्रमाणित प्रति				
8	अन्य कोई आई.डी. प्रूफ				
9	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति व जी.एस.टी.संख्या				
10	जी.एस.टी. शोधन प्रमाण पत्र वर्ष 2024–25 एवं 2023–24 व 2024–25 का जी.एस.टी.आर. -3B with ARN (यदि लागू नहीं हो तो स्पष्टतः अंकित करें)				
11	निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000/– जमा का विवरण (डी.डी./बैंकर्स चैक मय संख्या व दिनांक)				
12	बोली प्रतिभूति राशि जमा का विवरण (2 प्रतिशत)				
13	फर्म के द्वारा निविदा शर्तों के साथ सहमति/ प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता एवं ब्लैक लिस्टेड/डिबार/convicted नहीं होने का/बोनाफाईड डीलर/सेवा प्रदाता होने का रूपये 500/– के **नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेराईज्ड** घोषणा पत्र **(Annexure 01)**				
14	**कार्यानुभवः– राजकीय/अर्द्ध शासकीय/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मय कार्यादेश की प्रतियों के (Annexure 02) मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कम्पयूटर, प्रिन्टर मय स्कैनर एवं यू.पी.एस. किराये पर उपलब्ध कराने बाबत (गत 05 वर्ष में से न्यूनतम 02 वर्ष का संलग्न करें)**				
15	**अन्य कोई विवरण**				

निविदादाता के हस्ताक्षर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा जारी की तिथि : 10.10.2025
बोली सुरक्षा राशि रूपये 30000/— डी.डी./बैंकर्स चैक
अनुमानित वार्षिक लागत रूपये 15.00 लाख
निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1000/— डी.डी./बैंकर्स चैक
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 31.10.2025 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 31.10.2025 अपरान्ह् 4.00 बजे

निविदा प्रपत्र

कुलसचिव,
मदस विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषयः— महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कम्प्यूटर सैट (कम्प्यूटर,यूपीएस,प्रिन्टर, स्कैनर) उपलब्ध कराने संबंधी निविदा की सेवायें 12 माह हेतु

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संवेदक का नाम .... तथा डाक का पूरा पता ....
2. रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं दिनांक ....
3. दूरभाष नम्बर (अ) प्रतिष्ठान ....(ब) ई.मेल आई.डी...
4. निविदादाता का पता व फोन/मोबाईल नम्बर जिनसे सम्पर्क किया जा सके:— ....
....
....
5. निविदा सूचना संख्या .... में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार करने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिये हम सहमत हैं।
6. समस्त प्रतिबंध एवं शर्तों की पालना में हमारे द्वारा अंकित एवं प्रस्तावित दरें आदेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिये वैद्य है इसके आगे अवधि पारस्पकि सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
7. निविदा प्रपत्र का शुल्क रूपये 1000/. डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या ....दिनांक .... कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय होगा, जमा करा दिया गया है।
8. बोली सुरक्षा राशि रूपये 30000/— डी.डी./बैंकर्स चैक सं0 .... दिनांक .... कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय होगा, जमा करा दी गई है।
9. RISL Processing Charges रू. 500/— डी.डी./बैंकर्स चैक सं0 .... दिनांक ....प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में देय होगा, जमा करा दी गई है।
10. बोली सुरक्षा राशि निविदा स्वीकृत होने एवं कार्यादेश जारी होने पर असफल निविदादाता को लौटा दी जाएगी। इस राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
11. निविदादाता/प्रोपराईटर का घोषणा पत्र संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थानः
दिनांकः

नाम व पूर्ण पता.......................................
दूरभाष/मोबाईल नं0 ....

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कम्प्यूटर , प्रिन्टर मय स्कैनर एवं यू.पी.एस. किराये पर लिये जाने बाबत बोली निविदा की शर्तें

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबन्ध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित कम्प्यूटर स्थापित करके कार्य करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें निम्न प्रकार होगीः–

1. अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर आपसी सहमति पर आगे तीन माह तक उसे बढ़ाया जा सकेगा।
2. निविदा के साथ राशि रूपये 30000/– बोली प्रतिभूति (अमानत राशि) (2 प्रतिशत) जमा करानी होगी, एस.एस. आई ईकाई में बोली प्रतिभूति राशि 0.5प्रतिशत एवं रूग्ण (sick) उद्योगों की दशा में (S.S.I. से भिन्न) जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनः निर्माण के समक्ष है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. स्वीकृत निविदादाता को 07 दिवस में लागत मूल्य के 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (धरोहर राशि), एस. एस.ईकाई के मामले में 1 प्रतिशत तथा रूग्ण (sick) उद्योगों के मामले में 2 प्रतिशत होगी । डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ठ–4** में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
4. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की छाया प्रति भी आवश्यक रूप से संलग्न करें।
5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति सुरक्षा राशि/बोली सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. निविदादाता के अनुरोध पर बोली सुरक्षा राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जा सकेगा।
7. निविदा **दो पृथक सील बन्द लिफाफे में दी** जावेगी **प्रथम लिफाफा तकनीकी बिड** अंकन युक्त का होगा व **दूसरा वित्तीय बिड** अंकन युक्त का होगा। दोनों सील बन्द लिफाफे, **एक बड़े लिफाफे** में सील बन्द कर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत करना होगा। उक्त लिफाफे पर "**कम्प्यूटर मशीन विद् मैन, प्रिन्टर उपलब्ध कराने संबंधी निविदा**" का उल्लेख करना होगा तथा निविदादाता का पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर भी अंकित करना होगा। **विलम्ब से प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा** । तकनीकी बिड का लिफाफा निविदा में अंकित दिनांक व समय पर **कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर** के कक्ष में निर्धारित समिति के द्वारा निविदादाता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं के ही वित्तीय बिड के लिफाफे खोली जायेंगे, यानि तकनीकी रूप से सफल रहने वाले निविदादाताओं के ही वित्तीय बिड के लिफाफे खोले जायेंगे।
8. दरें समस्त व्ययों/उपकरणों सहित देनी होगी व अंकों व शब्दों में पृथक–पृथक लिखना होगा। काँट–छाँट व ऊपरी लेखन नहीं होनी चाहिए। दरें शब्दों व अंकों में असमान/अन्तर आने पर जो भी शब्दों में होगी उसे स्वीकार किया जावेगा। **मानव संसाधन (कॉलम सं. 7) व उपकरण (कॉलम सं. 8) उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक कॉलम में अव्यवहारिक दरें रू. 100/– से कम दर अंकित करने पर निविदा अमान्य होगी। निविदा पूर्णांकित रूपये में ही मान्य होगी दशमलव पैसों में दर अंकित करने पर मान्य नहीं होगी। नियमानुसार प्रचलित GST, EPF व ESI जमा कराने पर अतिरिक्त देय होगी।**
9. किराए पर कम्प्यूटर्स (Along with trained person) सेवाओं के उपापन के लिए निविदा में दरें वित्तीय निविदा प्रपत्र में भरकर संलग्न की जानी है।
10. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण/कम्प्यूटर विशिष्टतायें तथा ऑपरेटर की न्यूनतम योग्यता नियमानुसार/निम्नानुसार होना आवश्यक है। कम्प्यूटर की स्थापना के पूर्व उनका निरीक्षण तथा कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की जांच विश्वविद्यालय में कार्यरत ए0सी0पी0 द्वारा करवाकर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कम्प्यूटर सिस्टम निर्धारित स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप है। जहाँ सिस्टम विहित स्पेसिफिकेशंस के स्तर में अनुरूप नहीं पाए जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा।

    A. MAN POWER:-The person should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linex environment, good knowledge/practice in Work Processor, XL Sheets and Spread Sheets and Internet Operation and other office related computer operations and should have sufficient speed in typing in Hindi and English. निविदादाता के पास न्यूनतम 10 दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर्स जो कि निम्न योग्यताधारी एवं अनुभवी होने चाहिए। इस हेतु स्वयं प्रमाणित योग्यता एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगेः–

    मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा/प्रमाण पत्र अर्जित एवं कम्प्यूटर द्वारा एंट्री प्रोसेसिंग व प्रबन्ध व एक्सल में कार्य

करने एवं ऑनलाईन वेब पोर्टल पर कार्य करने संबंधी कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव एवं उक्त के लिए प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न करनी होगी।

B. COMPUTER:- Intel Core i5/equivalent AMD based computer or Hi speed, RAM 2/4GB or higher, Hard Disc 250 GB or more, 15 inch monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 MBPS LAN Card, CD/DVD writer, Standard Key Board, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel and USB Ports Window 10 or higher version. Anti Virus, Pre installed MS Office. Responsibility of Software Licence will be born by the contrator.

C. PRINTER WITH SCANNER :- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs Dot Matric/Ink Jet Printer may be taken in lieu of laser Printer. The scanner provided should be having ADF

D. UPS:- Online/Off line UPS for above computer and printer with 30 minutes back up.

11. न्यूनतम 10 दक्ष कर्मियों की सूची, जो कम्प्यूटर संबंधित कार्य करेंगे एवं उनके योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करने होंगे। कर्मचारियों को लगाने के बाद अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निर्धारित योग्यताधारी कार्मिक में से ही बदले जावेंगे। जिसके लिए संबंधित कुलसचिव/प्रभारी अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

12. संवदेक द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रत्येक विभाग/अनुभाग में कार्यरत ऑपरेटर का एक उपस्थिति रजिस्टर संधारित कर उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर को प्रतिदिन कार्यालय प्रारम्भ एवं समाप्ति के समय उपस्थिति सक्षम अधिकारी के समक्ष दर्ज करनी होगी। उपस्थिति की प्रमाणित प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी। उपस्थिति रजिस्टर की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

13. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित तकनीकी व वित्तीय बिड में अंकितानुसार होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर ACP के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप है। जहाँ सिस्टम निहित स्पेशिफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जावेगा उसे संवेदक के व्यय पर अनुरूप कराया जावेगा।

14. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था कार्यालय द्वारा कराई जावेगी।

15. प्रिन्टर में प्रिन्ट होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा ही दिया जावेगा। तत्पश्चात् नया टोनर/नया रिबन एवं सफेद कागज कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

16. <u>किसी भी तकनीकी कारणों से कम्प्यूटर बन्द नहीं रखा जावेगा</u> । कम्प्यूटर बन्द रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण हो तो भी देय राशि में से <u>प्रतिदिन रूपये 500/– की कटौती की जावेगी।</u> कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य करने हेतु उपस्थित रहना होगा।

17. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगा। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी भी निविदादाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

18. य़दि कम्प्यूटर सिस्टम कुलसचिव/प्रभारी अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जावेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर प्रतिदिन रू. 500/– की पेनल्टी देय होगी।

19. निविदादाता को रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि आवश्यकतानुसार सूचित करने पर <u>**मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर)**</u> मय कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय स्कनेर एवं यू.पी.एस. कार्यादेश प्राप्ति के तीन दिवस में निविदा शर्तों के अनुरूप उपलब्ध करायेंगे। (Annexure-4)

20. किराए के कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवायें कार्यालय समयानुसार निर्देशित स्थान एवं विभाग में कार्यस्थल पर देनी होगी इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को जितने समय के लिए आवश्यकता होगी कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा। न्यूनतम अवधि एक माह होगी। यदि विश्वविद्यालय को कभी लगाए गए कम्प्यूटर की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे तत्काल हटाया जा सकेगा। उसे वास्तविक जितने दिन उपयोग किया उसका भुगतान देय होगा।

21. यदि सेवा संबंधित कार्य की उक्त समय से पूर्व एवं पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है तो भी सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

22. ऑपरेटर को भुगतान योग्य राशि तथा अन्य सुविधाओं का सम्पूर्ण दायित्व संवेदक का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के श्रम विभाग के संबंध में विश्वविद्यालय को पक्षकार नहीं बनाया जा सकेगा।

23. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

24. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किए जाने एवं संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार बिल प्रमाणित करने पर ही संवेदक को चैक से वित्त एवं लेखा अनुभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा।

25. संवदेक द्वारा कार्य पर उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर में रखा डाटा/रिकॉर्ड लीक नहीं करेंगे/स्वयं के पास कॉपी कर नहीं रखेंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार का कोई प्रकरण आने पर फर्म/कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही कर सकेंगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की रहेगी। फर्म को चाहिये कि उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर से शपथ पत्र प्राप्त कर स्वयं के पास रिकॉर्ड पर रखें।

26. फर्म को स्थानीय समस्याओं के निवारण हेतु एक सुपरवाईजर अधिकृत कर उसका नाम, पता मोबाईल नम्बर विश्वविद्यालय को देना होगा।

27. यदि कम्प्यूटर संबंधी उपकरणों की चोरी या अन्य किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का अपने स्वयं के खर्चों पर बीमा करवा सकता है।

28. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा अजमेर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जावेगी अन्य स्थान पर पेश नहीं की जावेगी।

29. निविदादाता फर्म के पास संधारित आवश्यकतानुसार मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय स्कैनर व यू.पी.एस. उपलब्ध कराने की स्वयं की क्षमता होनी चाहिये। फर्म नियमानुसार पंजीकृत एवं विधिक लाईसेंस युक्त होनी चाहिये तथा इस आशय की **परिशिष्ठ–1** में घोषणा संलग्न करें।

30. कम्प्यूटर ऑपरेटर को वित्तीय बिड/तकनीकी बिड में अंकित योग्यताधारी एवं अनुभवी होना आवश्यक है तथा कम्प्यूटर मय प्रिन्टर दिए गए स्पेसिफिकेशंस के अनुसार होना आवश्यक है।

31. राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों/अर्द्धशासकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/ बोर्ड/ विश्वविद्यालयों में मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) का कार्य करने संबंधित प्रमाण पत्र गत 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र (संस्था द्वारा जारी) भी संलग्न करेंगे। जिसका विवरण **परिशिष्ठ–2** में भी अंकित करना होगा। मशीन विथ मैन को दोनों भाषाओं (हिन्दी व अंग्रेजी) में टाईपिंग करना आना आवश्यक है।

32. भुगतान के समय संवेदक के श्रमिक की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान करने का प्रमाण पत्र निविदादाता को देना होगा।

33. अन्य सभी शर्तों के अतिरिक्त निम्नांकित प्रावधानों (जो नियमानुसार लागू हों) व विश्वविद्यालय के लेखा नियमों के अन्तर्गत निहित शर्तों की पालना करनी होगी।

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(ii) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत् जारी 13.12.2024 के नोटिफिकेशन की पालना करनी आवश्यक है।

(iv) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(v) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(vi) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(vii) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान आदि की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(viii) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(ix) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(x) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST)का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xi) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xii) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xiii) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xv) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xvi) इस कार्य से सम्बन्धित समस्त प्रकार के प्रचलित व भविष्य में प्रभावी होने वाले सरकारी (केन्द्र व राज्य) नियमों/ कानूनों/परिपत्र/ निर्देश आदि की पालना करना बाध्यकारी होगा।

(xvii) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

34. निविदादाताओं की निविदा खोले जाने के पश्चात् बोली प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) निम्न परिस्थितियों में जब्त की जा सकेगी:–

1. निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
2. जब निविदादाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार का निष्पादन नहीं करता है।
3. जब प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

35. निविदा को निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को होगा।

36. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में समपहृत (Forfiet) किया जावेगा:–

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) प्रतिभूति निक्षेप राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा, इस संबंध में कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का निर्णय अंतिम होगा।

37. निविदादाता अपनी निविदा तथा सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य ऐजेन्सी को सौंप सकेगा न ही सब्लैट कर सकेगा।

38. अनुमोदित बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम नियमों की पालना करनी होगी जिसके लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा। फर्म द्वारा 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जावेगा।

39. RTPP एक्ट 2012 की धारा 7 (2) व 11 में वर्णित प्रावधान लागू होंगे। **(Annexure- 3)**

40. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के सभी प्रावधान व समय–समय पर जारी संशोधन प्रवृत्त होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता
नामः ....
पूर्ण पताः ....
मो.नं.: ....

कुलसचिव
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर

Annexure A : Compliance with the Code of integrity and No Conflict of interest

Any person participation in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti –competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to.

a. Have controlling partners/shareholders in common: or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them, or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid'; or

f. the Bidder or any of it's affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid ;or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Appellant Signature

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our bid submitted to ....for procurement of -- in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document:
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competitions;

Date :
Place ;

Signature of bidder
Name
Designation;
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is REGISTRAR, M.D.S.U., AJMER

The designation and address of the Second Appellate Authority is HON'BLE VICE-CHANCELLOR

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days form the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable;

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely;-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality,

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form alongwith as may copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies therof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Bidder Signature

ANNEXURE D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is oontained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price sthall be corrected, unless in the opinion of the procuring Entity there is and obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the Total shall be corrected ; and

iii. if there isa discrepancy between words is related to and arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities.

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works of services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document, It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case procurement of Goods of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Bidder Signature

Form No. 1
(see rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant;
   (ii) Residential Address :
2. Name and address of the respondent (s);
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office /authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appelian; is aggrieved
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;
6. Grounds of appeal;
   ....
   ....
   .... (supported by an affidavit)
7 ....
   ....
   ....

Place ....

Dated ....

Appellant' Signature

Annexure – 1

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र
(रू0 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराईज्ड)

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है व हम इनसे सहमत हैं। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि **कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर** का निर्णय हमारे द्वारा मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायतशासी संस्था/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट/डी–बार/दिवालिया/कन्विक्टेड घोषित नहीं किया हुआ है। प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा व हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज व जानकारी असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा एवं नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर सील
निविदादाता का नामः–

पूर्ण पताः–

दूरभाष नं.

नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय स्कैनर व यू.पी.एस. उपलब्ध कराने संबंधी निविदा

ANNEXURE -02

अनुभव का विवरण

क्र0 सं0	राजकीय / अर्द्ध राजकीय / स्वायत्तशाषी संस्था / बोर्डों / निगमों व विश्वविद्यालयों का विवरण	कार्यादेश संख्या एवं दिनांक व राशि (प्रति संलग्न करें)	कुल नियोजित व्यक्ति प्रतिदिन	कार्यावधि	कार्य प्रारम्भ दिनांक	कार्य पूर्णता दिनांक	अनुभव प्रमाण पत्र का क्रमांक व दिनांक (प्रति संलग्न करें)

निविदादाता के हस्ताक्षर

व पता मय फोन नं. ....

ANNEXURE -3

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 की धारा 7(2) व 11 के अन्तर्गत घोषणा पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 व 11 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ/करते है कि :–

धारा 7(2)

1 आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

2 ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता–दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

3 दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

4 वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

5 ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

6 कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

धारा 11

7 किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

i उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान–प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का

ii दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके :

iii उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी–विरोधी व्यवहार का

iv बोली प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का :

v बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार संबंधी संव्यवहारों का:

vi उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या उसकी सम्पत्ति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीडन का :

8 किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का : प्रतिषेध करने

9 हित के विरोध का प्रकटीकरण करने

10 अंतिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के संबंध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के संबंध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने, के उपबन्ध सम्मिलित है।

11 अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी :–

i उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन

ii संविदा–पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना

iii उपापन से संबंधित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना

iv उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली

v उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली

vi उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Draft of AGREEMENT

ANNEXURE-4
(S.R.17)

1. An agreement has been made this..........day of .... between ....(herein after called "the approved Service Provider", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include heirs, successors, executers and administrators) of the one part and the Maharshi Dayanand Saraswati University (herein after called the "MDSU" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.
2. Whereas the approved Service Provider/CONTRACTOR has agreed with the MDSU to provide services/delivery to the MDSU, Ajmer, at its head office as well as branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column........of the set schedule.
3. And whereas the approved Service Provider/contractor has deposited a sum of Rs...........in...............
   a. Bank Draft/Challan no/Banker Cheque no...............dated............
   b. Post office saving bank Passbook duly hypothecated to the departmental authority.
   c. National savings certificates/Defense savings certificates, Kisaan vikas patras, or any other script/ Instrument under national saving schemes for promotion of small savings, if the same can be placed under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formerly transferred to the departmental authority.
   d. Bank guarantee of any of the scheduled banks in the prescribed format.
4. Now these presents witness:
   a. In consideration of the Payment to be made by the MDSU through........at the rates set forth in the schedule hereto appended approved Service Provider will duly perform the said services set forth in ......and ....thereof in the manner set forth in the conditions of the bid and contract.
   b. The conditions of the bid and contract for open tender enclosed to the tender notice number...........dated...........and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
   c. Letter nos.........received from the bidder and letters nos.......received by the MDSU and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
   d.
      i. The MDSU do hereby agree that if the approved Service Provider/contractor shall duly perform the said services in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the MDSU will through.........pay or cause to be paid, to the approved Service Provider/contractor at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for the work.
      ii. The mode of payment will be as specified in Tender Document:
5. The delivery/service shall be affected and completed within the period mentioned in Tender Document:-

6. (1) In case of extension in the execution period with liquidated damage, the recovery shall be made on the basis of as mentioned in Tender document.

(2) Delivery period may be extended with or without LD if the delay in the delivery of services is on account of hindrances beyond the control of the SP.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Hon'ble Vice Chancellor, MDSU and the decision of the Hon'ble Vice Chancellor, MDSU shall be final and binding for both the parties.
8. For all legal disputes the jurisdiction shall be Ajmer only.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the ....day of............2025

Signature of the approved
Service Provider /Contractor
Date:
Witness No 1

Witness No 2

Signature for and on behalf of MDSU
Designation
Date:
1. Witness

2. Witness

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

ENVELOPE 1

तकनीकी बिड

(अलग लिफाफे में सीलबन्द हो)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय स्कैनर व यू.पी.एस. उपलब्ध कराने संबंधी निविदा

1. बोलीदाता पंजीकृत कम्पनी/फर्म/स्वयंसेवी संस्था का नाम ....
व पूर्ण पता ....
....
....
2. पंजीकृत संस्था द्वारा निविदा भरने वाले प्राधिकृत ....
पदाधिकारी का नाम व पता मय फोन नम्बर ....
एवं आई.डी. प्रूफ ....(आवश्यक हो तो पावर ऑफ एटॉर्नी/ऑथोरिटी लैटर की प्रति संलग्न करें।)
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 1000/– डी.डी./बैंकर्स चैक नं. ....दिनांक .... संलग्न है।
4. बोली सुरक्षा राशि/अमानत राशि रूपये 30000/– डी.डी./बैंकर्स चैक नं0 .... दिनांक ....संलग्न है।
5. आर.आई.एस.एल. शुल्क रू. 500/– डी.डी./बैंकर्स चैक नं0 .... दिनांक ....संलग्न है।
5. (i) राज. अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के तहत रजिस्टर्ड संबंधी पूर्ण विवरण व दस्तावेज की प्रतियाँ व श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार जारी लाईसेंस निम्नानुसार प्रस्तुत करें:–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970/संशोधित अधिनियम 2014				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

(ii) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14.11.2018 के क्रम में बिन्दु संख्या (i) के अनुसार वांछित पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रम में नियमानुसार यदि बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है, तो वह तद्नुसार वचनपत्र (Under taking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकते हैं।

6. निविदादाता द्वारा स्वयं के नाम, निविदा में अंकित कार्य के लिए सक्षम सत्ता से पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए।
7. वर्तमान जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व पेन नम्बर की स्व–प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए।

8. जी.एस.टी. शोधन प्रमाण पत्र वर्ष 2024–25 व 2024 का प्रपत्र जी.एस.टी.आर. - 3B with ARN की प्रति संलग्न करें (यदि लागू नहीं हो तो, तद्नुसार वचन पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।)
9. निविदादाता के पास न्यूनतम 10 दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर जो कि निम्न योग्यताधारी एवं अनुभवी होने चाहिये। इस हेतु स्व–प्रमाणित योग्यता एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगेः–
   मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा/प्रमाण पत्र अर्जित एवं कम्प्यूटर द्वारा एंट्री प्रोसेसिंग व प्रबन्ध व एक्सल में कार्य करने एवं ऑनलाईन वेब पोर्टल पर कार्य करने संबंधी कार्य करने का अनुभव एवं उक्त के लिए प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न करनी होगी।
10. निविदादाता निविदा में राजकीय विभागों/अर्द्धशासकीय विभागों/अन्य विभागों में कार्य करने का दो वर्षों का सफलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित सत्य प्रति।
11. निर्धारित Annexure A,B,C,D संलग्न है।
12. हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र संलग्न है।
13. नोटेराईज्ड घोषणा पत्र (Annexure 1) संलग्न है।
14. अनुभव प्रमाण पत्र का विवरण (Annexure 2) संलग्न है।
15. (Annexure 3) संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थानः
दिनांकः

नाम व पूर्ण पता...
दूरभाष/मोबाईल नं0 ....

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

(Env.No, 02)

वित्तीय बिड

(अलग लिफाफे में सीलबन्द हो)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) मय कम्प्यूटर, प्रिन्टर विद् स्कैनर व यू.पी.एस. उपलब्ध कराने संबंधी निविदा

1. ठेकेदार/फर्म का नाम व पूर्ण पता:–
2. दूरभाष सं. .... मोबाईल नं. ....

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति दिन प्रति ईकाई	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर प्रति माह प्रति ईकाई राशि	ई.पी.एफ. दर लैबर एक्ट के अनुसार नियमानुसार	ई.एस.आई. दर लैबर एक्ट के अनुसार नियमानुसार	सेवा प्रदाता द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराने का सर्विस चार्ज (प्रति माह प्रति ईकाई)	सेवा प्रदाता द्वारा उपकरण उपलब्ध कराने की मासिक किराये की दर प्रति ईकाई	कुल राशि प्रति ईकाई प्रति माह (जी.एस.टी. रहित)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	मशीन विथ मैन	(10)	रू0 359/– प्रतिदिन	9334/– प्रति माह	ई.पी.एफ. 12 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क 0.5 प्रतिशत ईडीएलआई 0.5 प्रतिशत कुल 13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत			
			359/–	9334/–	1214/–	303/–			

1. निविदादाता को उपरोक्तानुसार मशीन, प्रिन्टर विद् स्कैनर, यूपीएस आदि दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर को स्वयं के स्तर पर लाकर स्थापित करके कार्य करना होगा।
2. कम्प्यूटर खराब होने पर तत्काल अन्य व्यवस्था संवेदक को अपने स्तर पर करनी होगी।
3. समस्त कार्य कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के निर्देशानुसार एवं निर्दिष्ट प्रभारी अधिकारियों के कार्यालयों में किया जावेगा।
4. बिल दो प्रतियों में संबंधित प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित करवाकर कार्मिक के द्वारा किए गए कार्य की संतोषजनक रिपोर्ट सेवा प्रदाता/संवेदक को उपस्थिति रिपोर्ट के साथ देनी होगी। बिल का भुगतान नियमानुसार करों की कटौती करते हुए किया जावेगा।
5. संलग्न निविदा शर्तों की पालना करनी होगी।
6. कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या आवश्यकतानुसार समय समय पर घटाई व बढाई जा सकती है। जिसकी पालना संवेदक को करनी होगी।
7. संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा दरें कॉलम संख्या 7, 8 व 9 में अंकित करनी होगी, जिसमें कोई परिवर्तन संविदा अवधि में नहीं होगा।
8. जी.एस.टी. की राशि नियमानुसार अतिरिक्त रूप से देय होगी। जिसके लिये जी.एस.टी. जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (शर्त सं. 34–x के अनुसार)
9. संवेदक द्वारा मशीन विथ मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) के वेतन को उनके सम्बन्धित बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना आवश्यक है तथा साथ ही ई.एस.आई. व ई.पी.एफ. राशि नियमानुसार जमा करानी आवश्यक होगी।
10. ई.एस.आई. व ई.पी.एफ. राशि जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर इसका भुगतान अतिरिक्त रूप से पुनर्भरण किया जावेगा। (शर्त सं. 34–vii के अनुसार)
11. **बोलीदाता द्वारा कॉलम संख्या 07 व 08 में प्रत्येक में एक रूपये से कम दर अंकित करने पर निविदा निरस्त योग्य (अमान्य) होगी तथा दशमलव में भी स्वीकार नहीं होगी।**
12. क्रम संख्या 04, 05 व 06 की दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित दरों के अनुसार देय होगी। कॉलम संख्या 07 व 08 की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
13. दरें एक समान प्राप्त होने पर अनुभव व गत तीन वर्ष के औसत टर्न ओवर के आधार पर निर्धारण किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर
पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर